

पंजीयन अधिसूचना सत्र जनवरी – 2021



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act. No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / 2021 / पंजीयन / 233

दिनांक: 03 फरवरी 2021

पंजीयन अधिसूचना

सत्र जनवरी 2021 में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में छात्र पंजीयन

सत्र जनवरी 2021 में विश्वविद्यालय की संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में संचालित डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्रों के पंजीयन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन भरे जावेंगे। प्रवेशार्थियों के पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित नियम/दिशा- निर्देश निर्धारित एवं अधिसूचित किए जाते हैं।

फार्म भरने की प्रक्रिया

1. विश्वविद्यालय की सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले सभी प्रवेशार्थियों के पंजीयन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से दिनांक 27.02.2021 सायं 5.30 बजे तक ही भरे जा सकेंगे। पंजीयन शुल्क का भुगतान भी एम.पी. ऑनलाइन लि. के माध्यम से ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. ऑनलाइन पंजीयन फार्म (भरे हुए एवं शुल्क भुगतान किए गए फार्म) का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिथि दिनांक 06.03.2021 तक विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
3. ऑनलाइन प्रक्रिया—
 - 3.1 पंजीयन फार्म में वांछित सभी प्रविष्टियाँ सत्य एवं सही भरी जाएँ, कोई भी वर्ग रिक्त न छोड़ा जावे। प्रवेशार्थी का नवीनतम फोटो (साइज अधिकतम 200 KB) एवं उसके हस्ताक्षर ऑनलाइन फार्म में निर्धारित बॉक्स में स्कैन कर अपलोड किए जाएँ।
 - 3.2 ऑनलाइन फॉर्म में प्रवेशार्थियों की प्रविष्टियाँ अर्हता परीक्षा अनुसार ही भरना सुनिश्चित किया जावे। प्रविष्टियों में मतभेद की स्थिति में (जैसे नाम, माता-पिता का नाम एवं जन्मतिथि) हाईस्कूल अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2पद्धति) उत्तीर्ण अंकसूची को अंतिम माना जावेगा।
 - 3.3 ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व, सभी प्रविष्टियों की एवं अपलोड किए गए फोटो की जाँच कर, संबंधित छात्र से पुष्टि करवाकर, त्रुटियों का सुधार कर लिया जावे।

पंजीयन अधिसूचना : सत्र जनवरी 2021

1

- 3.4 ऑनलाइन फार्म भरने के साथ-साथ प्रवेशार्थी के संबंधित पाठ्यक्रम में पंजीयन के लिए निर्धारित अर्हता/पात्रता अंकसूची की स्कैन प्रति को अनिवार्यतः अपलोड किया जाए।
- 3.5 प्रत्येक ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म के साथ प्रति फार्म पंजीयन शुल्क रु.1250/-(रु. एक हजार दो सौ पचास मात्र) विश्वविद्यालय को देय है। नियमानुसार पोर्टल शुल्क एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड को देय होगा। नियमानुसार GST शुल्क भी देय होगा। पोर्टल शुल्क एवं GST अध्ययन संस्थाओं द्वारा ही वहन किया जावेगा, इसे विद्यार्थियों से संस्थाएँ कदापि न लें।
- 3.6 पंजीयन फार्म भरने की पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात् ही ऑनलाइन पंजीयन फार्म जमा (Submit) किया जावे।
- 3.7 ऑनलाइन पंजीयन फार्म जमा (Submit) हो जाने के पश्चात् प्रत्येक पंजीयन फार्म का रिपोर्ट सेक्शन से प्रिन्टआउट (हार्डकॉपी) निकाला जाए, उसे सत्यापित कराते हुए निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी से हस्ताक्षरित कराया जाए।
- 3.8 छात्र द्वारा हस्ताक्षरित फार्म को संस्था प्रभारी द्वारा जांचा जाए, इसके उपरान्त संस्था प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगाकर सत्यापित/प्रमाणित किया जाए।
- 3.9 संबंधित विद्यार्थी के अर्हता /पात्रता दस्तावेजों को छात्र एवं संस्था द्वारा सत्यापित/प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाए। विद्यार्थियों के आवश्यक अर्हता/पात्रता संबंधी एवं अन्य दस्तावेज परिशिष्ट (Annexure-A) के अनुसार संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कृपया विश्वविद्यालय का आदेश क्रमांक 2324/अका./2019 दिनांक 04/11/2019 देखें तथा पालन सुनिश्चित करें।
- 3.10 डी.सी.ए तथा पी.जी.डी.सी.ए. के फार्म पृथक-पृथक सेट के रूप में तैयार किए जाएँ। प्रत्येक (पाठ्यक्रम के) सेट में उस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की सूची संलग्न करें, सूची आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) के अनुक्रम में हो। प्रत्येक नामांकन फार्म प्रिंटआउट के साथ संबंधित छात्र की पात्रता अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें। प्रत्येक पाठ्यक्रम (सेट) के लिए कवरिंग लैटर एवं लिफाफा अलग-अलग हो और लिफाफे पर संबंधित पाठ्यक्रम का नाम स्पष्ट अंकित हो।

लिफाफे का नमूना इस प्रकार है:-

प्रति,
प्रभारी (234 पाठ्यक्रम)
C/O सहायक कुलसचिव (पंजीयन)
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
बी-38, जोन -1, एम.पी. नगर, भोपाल -462011

यदि अध्ययन संस्था सभी पाठ्यक्रमों के फार्म एक साथ एक सेट में भेजती है तो फार्म पृथक् करने तथा पृथक्कीकरण के समय किसी फार्म के गुमने (Misplace होने) के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

- 3.11 संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ ऑनलाइन भरे गए समस्त पंजीयन फार्म के प्रिन्ट आउट समस्त प्रमाणित दस्तावेजों के साथ "सहायक कुलसचिव (पंजीयन), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी-38, जोन -1, एम.पी. नगर,भोपाल -462011" के नाम से भेजना सुनिश्चित करें। लिफाफे पर 'पंजीयन फार्म व पाठ्यक्रम का नाम' अवश्य अंकित करें।
- 3.12 जिन प्रवेशार्थियों के पंजीयन फार्म ऑनलाइन नहीं भरे जावेंगे अथवा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भुगतान नहीं होगा, उनके पंजीयन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जावेंगे। ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में केवल भुगतान हो चुके (जिनका Application No., Transaction ID एवं Bar Code जनरेट हुआ है) पंजीयन फॉर्म ही जमा माने जाएंगे।
- 3.13 उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3.1 से 3.10 के अनुसार तैयार पंजीयन फार्म को नियत अंतिम तिथि तक स्वयं अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा विश्वविद्यालय पहुँचाने का दायित्व अध्ययन संस्था का है। नियमानुसार फार्म प्राप्त न होने अथवा विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में अध्ययन संस्था के साथ पत्र व्यवहार करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।
कृपया ई.मेल से दस्तावेज न भेजें।
4. अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश न दें। जो संस्थाएँ नो एडमिशन कैटेगरी (No Admission Category) में रखी गई हैं उनसे पंजीयन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
5. विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि में छूट प्रदान नहीं होगी। अतः अध्ययन संस्थाएँ **अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें।** एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल पर यह प्रक्रिया शुरू होते ही ऑनलाइन फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में पंजीयन फॉर्म भरने अथवा जमा करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड में टॉप-अप संबंधी समस्या अथवा अन्य कारण से हुए विलंब के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने में कोई तकनीकी समस्या हो तो कृपया एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के कस्टमर केयर दूरभाष क्रमांक **0755-6720200** पर संपर्क करें।
6. अध्ययन संस्था का दायित्व है कि प्रथम बार में ही छात्रों के संपूर्ण वांछित दस्तावेज विश्वविद्यालय में नियत तिथि तक जमा करें। संस्थाओं के लॉग-इन पर पंजीयन आपत्ति वाले छात्रों की सूची (प्रारंभिक जांच के आधार पर) प्रदर्शित की जायेगी। आपत्ति सूची में दर्शाये गए वांछित दस्तावेजों की पूर्ति अध्ययन संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक न करने की दशा में संबंधित छात्र का पंजीयन अस्वीकृत किया जायेगा।
7. पंजीयन के समय विद्यार्थी का अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि प्रवेश देने से पूर्व विद्यार्थियों की निर्धारित अर्हता/पात्रता सुनिश्चित कर लें। पात्र विद्यार्थियों के समस्त आवश्यक दस्तावेजों की भली-भांति जांच करने के उपरांत ही प्रवेश दें तथा सत्य जानकारी ही पंजीयन फॉर्म में भरना सुनिश्चित करें।

8. प्रवेशार्थी का किसी पाठ्यक्रम में पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन जमा होने/भुगतान होने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय में पंजीयन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के पश्चात पंजीयन शुल्क वापस अथवा समायोजित नहीं होगा। पंजीयन आपत्ति प्रकरणों में दस्तावेजों की वांछित पूर्ति न होने की दशा में अस्वीकृत किए गए पंजीयन हेतु भी पंजीयन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में समस्त शुल्क वापसी की जिम्मेदारी अध्ययन संस्था की होगी।
9. सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म के साथ पात्रता अंकसूची ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ संबंधित छात्र की पात्रता अंकसूची की छायाप्रति संलग्न कर एकसाथ जमा करना आवश्यक है।
10. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते समय रेग्यूलेशन क्रमांक 18, 2008 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे। विद्यार्थी की प्रवेश अर्हता पूर्ति के परीक्षण/पुष्टि का पूर्ण दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी का है। कृपया विश्वविद्यालय का आदेश क्रमांक 2324/अका./2019 दिनांक 04/11/2019 देखें तथा पालन सुनिश्चित करें।
11. पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को 10+2 के समकक्ष नहीं माना जावेगा। 10+2 से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण से है। पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण करने के बाद यदि छात्र ने कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त की है, तब ही न्यूनतम योग्यता मानकर ऐसे छात्र का पंजीयन किया जा सकेगा।
12. मानव संसाधन मंत्रालय/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/AIU/UGC/NIOS द्वारा गठित अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ही पंजीयन फॉर्म स्वीकृत किया जावेगा।
13. अध्ययन संस्था का दायित्व है कि वह बोर्ड /विश्वविद्यालय की मान्यता/प्रामाणिकता का सावधानी से परीक्षण करे एवं गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान के विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्म जमा न करे। कुछ अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की सूचना क्र./अका./2020/171 दिनांक 28/01/2020 द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
14. विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण किसी अन्य परीक्षा/उपाधि की समकक्षता को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अर्हता परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित करने का दायित्व एवं आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज, अधिसूचना आदि प्रस्तुत करने का दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी एवं संबंधित छात्र का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा समकक्षता मान्य करने अथवा न करने तथा पंजीयन स्वीकृत करने/न करने के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं मान्य होगा।
15. कृपया Annexure-A देखें। डिप्लोमा (Diploma) पाठ्यक्रमों के लिये केवल पात्रता संबंधी दस्तावेज /अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे।
16. विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति लिखित में प्राप्त किये बिना अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी छात्रों को प्रवेश न दिया जावे। अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी छात्रों को प्रवेश देने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध नियम Regulation No.19 देखें एवं इसका पालन सुनिश्चित करें।
17. जिन सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं से समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों के पंजीयन फॉर्म बिंदु क्रमांक-2 के अनुसार नामांकन शाखा में अंतिम तिथि तक एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त नहीं होते हैं, उन

संस्थाओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ विभाग द्वारा की जा सकेंगी। अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त पंजीयन फार्म की जांच तथा पंजीयन क्रमांक जनरेट करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं है।

18. किसी भी विद्यार्थी के पात्रता दस्तावेजों में संदेह की स्थिति में नामांकन विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सम्बद्ध अध्ययन संस्था से विद्यार्थी के मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।
19. पंजीयन फार्म में अपूर्ण, असत्य, त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाने अथवा इस अधिसूचना में उल्लेखित नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में अध्ययन संस्था/विद्यार्थी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र है, इस दशा के लिए संस्था/विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
20. छात्र का पंजीयन फार्म आनलाइन जमा होने के उपरांत, यदि उसका प्रिंटआउट तथा पंजीयन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होते हैं /अपूर्ण प्राप्त होते हैं या छात्र अपात्र पाया जाता है या नियमों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो संबंधित छात्र को प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पंजीयन आपत्ति वाले छात्रों का पंजीयन फार्म अस्वीकृत करने का/पंजीयन निरस्त करने का/प्रथम सेमेस्टर प्रवेश पत्र रोकने का/किसी भी सेमेस्टर में परीक्षा परिणाम घोषणा रोकने (Witheld) का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
21. जिन प्रवेशार्थियों के पंजीयन क्रमांक जनरेट नहीं किए जाते हैं, उनके पंजीयन आवेदन फार्म स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।
22. नामांकन/पंजीयन फार्म/रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के सुधार के संशोधित नियम अधिसूचना क्रमांक नामांकन/2020/ 41 दिनांक 07/01/2020 के द्वारा अधिसूचित किये गये हैं। पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन जमा (Submit) होने के उपरांत यदि छात्र या माता-पिता के नाम/सरनेम/जन्मतिथि/हस्ताक्षर/फोटो की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो अध्ययन संस्थाएँ त्रुटि सुधार अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शुल्क/दस्तावेजों के साथ त्रुटि सुधार आवेदन कर सकती हैं। बशर्ते चाहा गया त्रुटि सुधार इस अधिसूचना के बिंदु क्रमांक 3.2 एवं आदेश क्रमांक /परीक्षा -1/2016/4073 दिनांक 06/04/2016 (कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकसूचियों में विद्यार्थी के पिता/पति के स्थान पर भविष्य में केवल पिता के नाम की प्रविष्टि की जाएगी), अनुसार हो।
23. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/सूचनाएँ/अधिसूचनाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध कराई जाती हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए (प्रकाशित) निर्देश/सूचना/अधिसूचनाओं को औपचारिक रूप से घोषित माना जाएगा। अध्ययन संस्थाओं को डाक द्वारा प्रति भेजने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है। सभी अध्ययन संस्थाओं से विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं स्वयं के लॉग-इन का नियमित अवलोकन करने की अपेक्षा की जाती है।
24. विश्वविद्यालय के PGDCA, DCA डिप्लोमा अंशकालिक नियमित पाठ्यक्रम हैं एवं इनमें छात्र पंजीयन किया जाता है।
25. पंजीयन संबंधी सहायता के लिए सहायक कुलसचिव (नामांकन) के दूरभाष क्रमांक 0755-2574519 अथवा ई-मेल enroll@mcu.ac.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

26. नामांकन सत्र जनवरी 2021 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पंजीयन सीरीज निम्नानुसार होगी:-

- पीजीडीसीए - 21W16
- डीसीए - 21W17

संलग्न:- अर्हता एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची (परिशिष्ट- Annexure "A")

(
(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

पृ. क्र./2021/पंजीयन/234

दिनांक 23 फरवरी 2021

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
2. निदेशक, ए.एस.आई., मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव, परीक्षा मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक कुलसचिव, गोपनीय मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रमुख, वाणिज्य विकास, एम.पी.ऑनलाइन लि., भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ (विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in) पर ऑनलाइन प्रकाशित।

(
(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित पात्रता (Eligibility) एवं अधिसूचना के बिंदु क्र.-3.9 के अनुसार दस्तावेजों की सूची

स.क्र. S.No.	पाठ्यक्रम (Course)	पाठ्यक्रम का कोड (Course Code)	वांछित पात्रता (Eligibility)	जमा करने वाले दस्तावेज (Documents to be submitted)
				पात्रता अंकसूची की सत्यापित छाया प्रति (Attested Photo copy of Marksheet)
1	2	3	4	
1.	P.G.D.C.A Post Graduate Diploma in Computer Applications	16	Graduation (Any Discipline) from recognised university	As per Column No.3 1. Marksheet
2.	D.C.A Diploma in Computer Applications	17	10+2 Or equivalent/ Three year Polytechnic Diploma from recognised Institution	As per Column No.3 1. Marksheet

नोट—

- प्रत्येक विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक एक निश्चित अवधि के लिए वैध होगा। एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम तीन वर्ष तक पंजीयन क्रमांक वैध होगा।
- एक पंजीयन सत्र में किसी पाठ्यक्रम में एक छात्र का एक ही ऑनलाइन पंजीयन फार्म स्वीकार्य होगा तथा एक ही पंजीयन नम्बर जनरेट (जारी) किया जाएगा।
- एक बार ऑनलाइन पंजीयन फार्म Submit होने के पश्चात्, किसी भी परिस्थिति में उस फार्म के सम्पूर्ण डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- सत्र जनवरी 2019 में अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना क्रमांक /पंजीयन/2019/1335 दिनांक 20/05/2019 के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।
- सत्र जुलाई 2019 में अमान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना क्रमांक/अका./2020/171 दिनांक 28/01/2020 के द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
- नामांकन व्यवस्था की प्रक्रिया में सुधार हेतु आदेश क्रमांक 2324/अका./2019 दिनांक 04/11/2019 प्रसारित किया गया है। इसका पालन सुनिश्चित किया जाए।
- ऑनलाइन पंजीयन फार्म में छात्र का वास्तविक ई.मेल आई.डी. एवं पंजीकृत मोबाईल नंबर प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।
- मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित National Academic Depository (NAD) से निर्देश हैं कि समस्त छात्रों का NAD पर पंजीयन किया जाना आवश्यक है। कृपया इस संबंध में विश्वविद्यालय की सूचना क्र. नामांकन/2019/755 भोपाल दिनांक 08/08/2019 देखें।

()
(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक